उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-14/2025/वे0आ0-2-362/दस-2025/ईप0क0सं0-1895237

लखनऊ : दिनांक : 25 सितम्बर, 2025

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति की संस्तुतियों तथा वेतन समिति की संस्तुतियों पर विचार-विमर्श हेतु गठित मुख्य सचिव समिति के कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही किये जाने हेतु राज्यपाल महोदया वेतन समिति क्रियान्वयन सेल में निम्नलिखित अस्थायी संवर्गीय पद को दिनांक 28.02.2026 तक के लिये, यदि इसके पूर्व ही इस पद को समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

पदनाम	पद की प्रास्थिति	वेतनमान	पद की संख्या	भर्ती की प्रक्रिया	भर्ती का स्रोत
अपर सांख्यिकीय अधिकारी	संवर्गीय (अस्थायी)	वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (रू0 44,900-1,42,400)	01	चयन समिति के माध्यम से।	राजकीय विभागों के अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पदधारक से सेवा स्थानान्तरण द्वारा।

2- उपर्युक्त पद के पदधारक को सम्बन्धित वेतनमान में वेतन, मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो भी समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये जाये, अनुमन्य होंगे।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में सृजित पद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-105-विशेष जॉच आयोग-03 राज्य आयोग एवं समितियां-01-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-14/2025/वे0आ0-2-362(1)/दस-2025, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/5
(3) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) आहरण वितरण अधिकारी, वेतन समिति।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पुष्पराज,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in